राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798 e-mail-nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांकः– 973/241/NULM/तीन/2001(SUH-SGIDS) दिनांक 23.02.2018

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा, उत्तर प्रदेश
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश
3. समस्त नगर आयुक्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश
4. समस्त परियोजना निदेशक/सी0पी0ओ0 डूडा, उत्तर प्रदेश

विषयः–प्रदेश में शहरी बेघरों का सर्वेक्षण गिरी इंस्टीट्यूट आफ डेव लेपमेंट, अलीगंज, लखनऊ द्वारा कराये जा रहे सर्वेक्षण के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि प्रदेश में शहरी बेघरों का सर्वेक्षण गिरी विकास संस्थान अलीगंज लखनऊ के द्वारा कराया जा रहा है। उक्त सर्वेक्षण मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका (सिविल) सं0– 55/2003, यूनियन आफ इण्डिया व अन्य बनाम ई0आर0 कुमार व अन्य में दिये गये अन्तरिम आदेश के अनुक्रम में भारत सरकार के पत्र M-13/23/2017-UPA-1MHUPA(EFS-9026963) दिनांक 15.11.2017 के माध्यम से थर्ड पार्टी सर्वेक्षण कराये जाने के अनुपालन में किया जा रहा है। गिरी विकास संस्थान लखनऊ के माध्यम से शहरी बेघरों का थर्ड पार्टी सर्वेक्षण प्रमुख सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन के अनुमोदन के क्रम में कराया जा रहा है। उक्त सर्वेक्षण फरवरी 2018 से मई 2018 के मध्य किया जाना है।

गिरी विकास संस्थान लखनऊ के प्रतिनिधि शहरी बेघरों के बायोमैट्रिक सर्वेक्षण मोबाइल एप के माध्यम से करने हेतु प्रदेश के सभी शहरी निकायों के सभी क्षेत्रों मे रात्रि 9 बजे से 3 बजे के मध्य तथा दिन में 10 बजे से 4 बजे तक दिन एवं रात में 2–2 राउण्ड में सर्वेक्षण करेंगे। एक राउण्ड से दूसरे राउण्ड के बीच में 2 दिवसों का गैप होगा। गिरी विकास संस्था लखनऊ के प्रतिनिधि प्रदेश के सभी नगर निकायों के सभी क्षेत्रों में बायोमैट्रिक सर्वेक्षण शहरों में खुले में विभिन्न स्थलों यथा पार्क में, दुकानों के चबूतरों पर, धार्मिक स्थल के आस पास, हयूम पाइप, ओवरब्रिज के नीचे एवं सड़क के किनारे आदि स्थलों पर सोने वाले शहरी बेघरों का सर्वेक्षण शहर के सभी क्षेत्रों में करेंगे।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण के मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन होने और सघन समीक्षा किये जाने के दृष्टिगत गिरी विकास संस्थान के प्रतिनिधियों को उक्त सर्वेक्षण के समय रात्रि एवं दिन में भ्रमण के समय अपेक्षित सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। उक्त के साथ ही सभी थानाध्यक्षों एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को भी ससमय सर्वेक्षण पूर्ण किये जाने में सहयोग हेतु भी निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
आई0ए0एस0
मिशन निदेशक/निदेशक
सूडा

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. संयुक्त सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निदेशक गिरी विकास संस्थान, लखनऊ।
4. समस्त परियोजना अधिकारी, डूडा, उ0प्र0 को अनुपालनार्थ।
5. सहायक वेबमास्टर को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
आई0ए0एस0
मिशन निदेशक/निदेशक
सूडा